—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 13/2019

उनवान

1. महेन्द्र,
2. सीमा पि0 रामधन पुत्र रंगलाल,
3. रतनी पत्नी रामधन जाति गुर्जर नि0 तिहारी, नसीराबाद

—— अपीलांट :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत तिहारी,
2. सत्यनारायण पुत्र रंगलाल पुत्र छोटू,
3. शोभा,
4. भूरी,
5. संतोष पुत्री रंगलाल पुत्र छोटू,
6. प्रधान,
7. सुशीला,
8. विमला पि0 भंवरलाल पुत्र रंगलाल,
9. मथरा पत्नी रामराज पुत्र भंवरलाल,
10. पुष्पा ना.बा.
11.. छीतर ना.बा.पि0 रामराज पि0 भंवरलाल जरिये संरक्षक मथरा,
12. गटटु बा.
13. रसाल बा. पि0 रामलाल पुत्र छोटू जाति गुर्जर नि0 तिहारी, नसीराबाद,
14. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— रेस्पोडेन्टस :— 1 से 13 अनुपस्थित, 14 जरियें राज. पैराकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व ग्राम पंचायत तिहारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.1985 नामान्तकरण संख्या 27 व दिनांक 21.8.2020 नामान्तरकरण संख्या 186 के द्वारा पंचायत द्वारा स्वीकृत करने के आदेश के विरूद्व अपील बाबत।

—: आदेश :— दिनांक :—

अधिवक्ता अपीलान्टस ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिहारी के खाता संख्या 313/465 कि[illegible] 14 रकबा [illegible] की आराजी अपीलांट व रेस्पोडेन्टस की संयुक्त खातेदारी की है। वंर्किग जमाबंदी के [illegible] संख्या 66/104 में उक्त आराजी छगना पुत्र कालू की खातेदारी में द[illegible] गई थे, जिनमें से छगना व उसकी पत्नी छोटी की मृत्यु हो गयी है तथा [illegible] कोई वारिस नही है। छोटू के वारिस अपीलांट व रेस्पोडेन्टस है। ग्राम पचायत तिहारी द्वारा वंर्किग जमाबंदी में [illegible]करण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:03:39 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

27 से छगना की विरासत दर्ज करते समय भंवरलाल व रामधन मुतबन्ना छगना गलत अंकित कर दिया, जबकि छगना व उसकी पत्नी छोटी के कोई गोद नही गया था। इसी प्रकार नामानतकरण संख्या 186 दिनांक 21.8.2020 द्वारा मृतक छोटी पत्नी छगना की विरासत दर्ज करते समय भंवरलाल व रामधन पि. रंगलाल के स्थान पर भंवरलाल व रामधन मुतबन्ना छगना अंकित कर दिया गया। उक्त दोनो नामान्तकरण विधिक प्रावधान के विपरित व न्याया से परे होने के कारण निरस्त करने योग्य है। अतः आराजी मुतनाजा पर भंवरलाल व रामधन के पिता का सही नाम रंगलाल अंकित किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरियें नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 13 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पर भंवरलाल व रामधन के पिता का नाम छगना के स्थान पर रंगलाल करवाना चाहते है। वादग्रस्त भूमि खातेदारी होने से राजहित प्रभावित नही होता है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट व राज. पैरोकार के तर्को पर मन किया गया। वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 96/104 किता 18 रकबा 42–13–0 की आराजी छगना पुत्र कालू के नाम खातेदारी दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 27 दिनांक 08.07.1985 से छगना पुत्र कालू की विरासत छोटी पत्नी छगना व भंवरलाल, रामधन मुतबन्ना दगना के नाम दर्ज की गयी। इसी प्रकार नामान्तकरण संख्या 186 दिनांक 07.09. 2000 से छोटी पत्नी छगना के बजाय रामधन मुतबन्ना छगना व भंवरलाल के वारिसों के नाम भूमि दर्ज की गयी। अपीलांट का कथन है कि छोटी पत्नी छगना व छगना पि. कालू द्वारा किसी को गोद नही लिया था। भंवरलाला व रामधन के पिता का नाम रंगलाल है। जो छोटू के भाई के पुत्र है। इसके समर्थन में अपीलांट द्वारा शजरा प्रमाण पत्र भी पेश किया राज. पैरोकार ने अपील का कोई खण्डन नही किया है, तथा जाहिर किया है कि प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होता है। शेष रेस्पोडेन्ट प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। उक्त नामान्तकरण में विधिक त्रुटि की गयी है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त त्रुटी के कारण आराजी मुतनाजा मे अपीलांट के पूर्वज रामधन मुतबन्ना छगना गलत अंकन कर दिया है। भंवरलाल मुतबन्ना की विरासत उसके वारिसान के नाम दर्ज हो गयी है अतः भंवरलाला के पिता का नाम सही दर्ज करने का कोई औचित्य नही है।बअपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन भी पेश नही किया है। प्रार्थना पत्र में दर्ज विलम्ब के कारण सद्भाविक होने से प्रार्थना पत्र. स्वीकार किया जाता है। अपील में विलम्ब की अवधि क्षमा योग्य है।

उक्तानुसार ग्राम पंचायत तिहारी द्वारा नामान्तकरण संख्या 27 दिनांक 08.07.1985 व 186 दिनांक 21.08.2000 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत/न्यायसंगत आदेश नही है। उक्त नामान्तकरण में विधिक तथा तथ्यात्मक त्रुटि जाहिर है, जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित होने से हस्तगत अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से एतद् द्वारा **"स्वीकार"** की जाती है। उक्त नामान्तकरण पर रामधन पुत्र छगना की विरासत का अंकन निरस्त किया जाते है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम तिहारी के खाता संख्या 313/465 किता 14 रकबा 6.74 की आराजी पर रामधन पुत्र छगना की वल्दियत की सही जॉच कर हितबद्व व्यक्तियों को साक्ष्य/दस्तावेज पेश करने का अवसर देते हुये विरासत की कार्यवाही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:03:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद